रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 2015/फाल्गुन 23, 1936
No. 570] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 2015/PHALGUNA 23, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2015

आय-कर

का.आ. 758(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गग की उपधारा (9) और उपधारा (9क) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,—

(क) नियम 10च में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) "आवेदक" से कोई व्यक्ति, जिसने आवेदन किया है, अभिप्रेत है;";

(ii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जक) "रोलबैक वर्ष" से धारा 92गग की उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्व वर्ष के पहले पूर्व चार पूर्व वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर आने वाला कोई पूर्व वर्ष अभिप्रेत है ;";

(ख) नियम 10ज के उपनियम (1) में,—

(i) "प्रत्येक" शब्द के स्थान पर "कोई" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "करेगा" शब्द के स्थान पर "कर सकेगा" शब्द रखा जाएगा;

(ग) नियम 10झ में "जिसने नियम 10ज में यथानिर्दिष्ट फाइल करने से पूर्व परामर्श किया है", शब्दों, अंक और अक्षर के स्थान पर "जिसने नियम 10ज में यथानिर्दिष्ट" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) नियम 10ट के उपनियम (2) में, "निर्दिष्ट परामर्श से पूर्व", शब्दों के स्थान पर, "किसी निर्दिष्ट परामर्श से पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) नियम 10ड के उपनियम (1) के खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vक) नियम (डक) में निर्दिष्ट रोलबैक उपबंध;";

(च) नियम 10ड के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"करार का रोलबैक

10डक.(1) इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संनिकट कीमत को अवधारित करने के लिए उपबंध कर सकेगा करार या वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके रोलबैक वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् रोलबैक उपबंध कहा गया है) के दौरान व्यक्ति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत अवधारित होगी ।

(2) करार में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रोलबैक उपबंध निम्नलिखित के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात् :—

(i) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार समान होगा, जिसे करार (रोलबैक उपबंध से भिन्न) लागू होगा;

(ii) धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट देय तारीख से पूर्व आवेदक द्वारा संबंधित रोलबैक वर्षों के लिए आय की विवरणी होगी या देनी होगी;

(iii) धारा 92ङ के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी;

(iv) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रोलबैक उपबंध का लागू होना, रोलबैक वर्षों में सभी के लिए आवेदक द्वारा अनुरोध करना होगा जिसे उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार आवेदक द्वारा किया गया था; और

(v) आवेदक को उपनियम (5) के अनुसरण में प्ररूप 3गङघक में रोलबैक प्राप्ति करने के लिए कोई आवेदन करेगा ;

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी रोलबैक उपबंध किसी रोलबैक वर्ष के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपबंधित नहीं होगा, यदि,—

(i) उक्त वर्ष के लिए उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार सन्निकट कीमत का अवधारण अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील की विषय-वस्तु रही है और अपील अधिकरण द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी भी समय पर ऐसी अपील को निस्तारण करने वाला कोई आदेश पारित किया है ; या

(ii) रोलबैक उपबंध लागू होने का प्रभाव उक्त वर्ष में आय की विवरणी में घोषित यथा आवेदक के, यथास्थिति, कुल आय या हानि को बढ़ाने वाले से कमी करने का प्रभाव का होगा ।

(4) जहां रोलबैक उपबंध किसी रोलबैक वर्ष में किए गए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारित सन्निकट कीमत को ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करता है जहां वह ऐसी रीति में समान रीति के रूप में होगी जिसे उसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के सन्निकट कीमत के अवधारण के लिए उपलब्ध कराने को सहमत पाई गई थी जिसे करार में किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किया गया था, रोलबैक वर्ष में नहीं होगी ।

(5) आवेदक, यदि वह रोलबैक उपबंध के साथ किसी करार को करने की वांछा रखता है, आवेदन के साथ पांच लाख रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ प्ररूप सं. 3गङघक में उसका अनुरोध करेगा :

परंतु किसी दशा में, जहां आवेदन 1 जनवरी, 2015 से पूर्व 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व या करार में प्रवेश की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, को अतिरिक्त फीस के संदाय के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा :

परंतु यह और कि उस दशा में नियम 10ठ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां करार 1 जनवरी, 2015 से पूर्व किया गया है, प्ररूप सं. 3गङघक को 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किसी समय अतिरिक्त फीस के सबूत के साथ फाइल कर सकेगा और इस नियम के अनुसरण में उक्त करार के रोलबैक उपबंध के लिए करार को पुनरीक्षित कर सकेगा ।";

(छ) नियम 10द के उपनियम (1) के खंड (iv) में, "नियम 10ठ के उपनियम (4)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या नियम 10दक के उपनियम (7)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ज) नियम 10द के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"किसी करार के रोलबैक उपबंधों को प्रभाव देने के लिए प्रक्रिया

10दक(1) किसी करार के रोलबैक उपबंधों का प्रभाव इस नियम के अनुसरण के अनुसार होगा ।

(2) आवेदक किसी रोलबैक वर्ष के संबंध में, जिसमें रोलबैक उपबंधों के अनुसरण में परिणामस्वरूप और उसकी गणना के रूप में उत्पन्न कोई अतिरिक्त कर के संदाय के सबूत के साथ लागू करार धारा 92गघ में निर्दिष्ट आय की उपांतरित विवरणी देने होगी ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट उपांतरित विवरणी, आवेदन में जिस करार के लिए अनुरोध किया गया है, के लिए पूर्ववर्ती वर्षों के पहले के संबंध में दी गई उपांतरित विवरणी के साथ होगी ।

(4) यदि आवेदक द्वारा किसी रोलबैक वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई कोई अपील, इस मुद्दे पर, जिसमें उक्त वर्ष के लिए रोलबैक उपबंध की विषय सामग्री है, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, उक्त वर्ष के लिए उपांतरित विवरणी देने से पूर्व आवेदक द्वारा वापिस लेना होगा जिस करार के अधीन आने वाले विषय का विस्तार उक्त अपील में है ।

(5) यदि निर्धारण अधिकारी या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा फाइल की गई कोई अपील किसी रोलबैक वर्ष के लिए अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त वर्ष के लिए, जिसकी विषय-वस्तु रोलबैक उपबंध है, पर लंबित है, आवेदक द्वारा उपांतरित विवरणी फाइल करने के तीन मास के भीतर, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा वापिस लेना होगा जिस करार के अधीन आने वाले विषय का विस्तार उक्त अपील में है ।

(6) आवेदक, निर्धारण अधिकारी या मुख्य आयुक्त या आयुक्त, रोलबैक उपबंध के लिए किए गए करार के तथ्य को, यथास्थिति, विवाद समाधान पैनल या आयुक्त (अपील) या उच्च न्यायालय के समक्ष, यथाशाध्यशीघ्र करार की एक प्रति के साथ जानकारी देगी ।

(7) इस नियम के अनुसार किसी करार के रोलबैक उपबंध को प्रभाव नहीं दिए जा सकने की दशा में किसी रोलबैक वर्ष के लिए, जिसमें यह लागू होता है, जो आवेदक की ओर से असफलता के कारण है, करार निरस्त होगा ।" ;

(झ) मूल नियम के उपाबंध (2) में,—

(अ) प्ररूप 3गङग में, मद सं. 10 में, "वर्षों की सं. जिनके लिए अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए आवेदन का प्रस्ताव है" के पश्चात् "जिसके अंतर्गत रोलबैक वर्ष भी हैं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) प्ररूप 3गङघ में, मद सं. 5 में उपमद (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) क्या किसी रोलबैक का अनुरोध किया गया है हां/नहीं

(छ) यदि हां, तो सुसंगित प्ररूप सं. 3गङघक की प्रति संलग्न करें ।";

(इ) प्ररूप सं. 3गङघ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं. 3गङघक"

[नियम 10डक उप-नियम (5) देखें]

अग्रिम कीमत निर्धारण करार के रोल बैक के लिए आवेदन

सेवा में,

भारत का समक्ष प्राधिकारी
या
महानिदेशक, आयकर (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान),
नई दिल्ली ।

महोदय/महोदया,

यह कथन करना है कि ..... (आवेदक का नाम) केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के साथ रोल बैक उपबंध अन्तर्विष्ट करने वाले अग्रिम कीमत निर्धारण कराने पर बातचीत करना चाहता है। मैं आवश्यक विशिष्टियां इसके साथ नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं :—

1. आवेदक की विशिष्टियां :

(क) आवेदक का पूरा नाम:

(ख) स्थायी लेखा संस्थान:

(ग) आवेदक का पता:

(घ) पत्र व्यवहार का पता :

(ड.) भारत में कारबार उद्यमों अवस्थिति (यां)

(च) उस व्यक्ति की, जिसके साथ पत्र व्यवहार किया जाना है, ई मेल पहचान और संपर्क नम्बर संख्या ।

(छ) उन प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम और पदाभिधान जो अग्रिम कीमत निर्धारण करार की बातचीत के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उपसंजात होंगे:—

2. क्या आवेदक ने रौल बैक के संबंध में फाइल करने से पूर्व चर्चा करने का अनुरोध किया था । यदि हां, तो कृपया बताएं :—

(क) फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए आवेदन की तारीख :

3. क्या प्ररूप 3गङघ में आवेदन साथ-साथ फाइल किया जा रहा है।

4. अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार (संव्यवहारों) के ब्यौरे जिनके उन सहायुक्त उद्यमों के नाम भी हैं जिनके संबंध में रौल बैक के लिए अनुरोध किया गया है:

5. क्या अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार नहीं है (हैं) जिनके संबंध में आवेदक द्वारा अग्रिम कीमत निर्धारण करार का अनुरोध प्ररूप 3गङघ में किया जा रहा है :

6. आवेदक द्वारा संदत्त अतिरिक्त फीस की विशिष्टियां: रकम रुपए चालान सं. तारीख :

7. पूर्ववर्ती वर्षों के ब्यौरे जिनके लिए रोल बैक का अनुरोध किया गया है ।

8. क्या किसी अन्य वर्ष में वही अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है जिसके लिए रौल बैक अनुज्ञेय है किन्तु उसी के लिए अनुरोध नहीं किया जा रहा है । यदि हां, तो उसके लिए कारण बताएं :

9. तारीख सहित अग्रिम कीमत विचारण करार की अवधि जिससे प्ररूप 3गङघ आवेदन में कीमत निर्धाण करार का अनुरोध किया गया है ।

10. ऊपर 7 में उल्लिखित सभी पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आयकर विवरणी देय तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की गई है : हां/नहीं

11. यदि हां, तो अभिस्वीकृति सं., प्रस्तुत करने की तारीख सहित ब्यौरे दें ।

12. क्या ऊपर 7 में उल्लिखित सभी पूर्ववर्ती वर्षों के लिए उपरोक्त 4 में निर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत धारा 92ङ के अधीन संपरिक्षा रिपोर्ट देय तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत कर दी गई है । हां/नहीं

13. यदि हां, तो प्रस्तुत करने की तारीख आदि सहित बताएं ।

14. ऊपर 4 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार (रों) के संबंध में ऊपर 7 में उल्लिखित वर्षों के लिए अपीलों सहित लंबित कार्यवाहियों के ब्यौरे :

15. क्या अपील अधिकरण ने ऊपर 7 में उल्लिखित वर्षों में से किसी वर्ष के लिए ऊपर 4 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में किसी अपील का निपटारा किया है, यदि हां, तो ब्यौरा दें।

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में दी गई जानकारी का सही और सत्यतापूर्वक कथन किया गया है।

भवदीय,

स्थान :
तारीख:

आवेदक

टिप्पण :

1. कीमत निर्धारण करार करने के लिए प्ररूप 3गङघ में किसी आवेदन के साथ प्ररूप फाइल किया जाएगा।

2. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का प्रयोग किया जाए। ये संलग्नक प्ररूप 3गङघ में आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिएं।

3. प्ररूप के साथ पांच लाख रूपये की फीस का संदाय किए जाने का सबूत संलग्न होगा। यह फीस प्ररूप 3गङघ के साथ संदेय किसी फीस के अतिरिक्त है।

4. आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे।"

[अधिसूचना संख्या 23 /2015/फा. सं. 142/14/2014-टीपीएल]

अमित कटोच,अवर सचिव (कर नीति और विधान-I)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च,1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 350(अ), तारीख 04/02/2015 द्वारा आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा उनमें संशोधन किया गया।